बिहार सरकार

अर्द्ध–न्यायिक कार्यवाही, जाँच आयुक्त, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

श्री चंदन कुमार मंडल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक–797/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णियाँ. सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या–04/2016 के मामले में

जाँच आयुक्त–सह–सचिव मनोज कुमार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश।

दिनांकः–09.07.2026

1. बिहार सरकार (प्रशासी विभागः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) की तरफ से

i प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी	:–	श्री रौशन राज, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णियाँ – **उपस्थित**
ii गवाह	:–	शून्य
iii प्रशासी विभाग/ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा पिछली तिथि के बाद अद्यतन प्रस्तुत कागजात	:–	शून्य

2. बचाव पक्ष की तरफ से

i आरोपित पदाधिकारी	:–	श्री चंदन कुमार मंडल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक–797/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णियाँ सम्प्रति–सेवानिवृत्त – **उपस्थित।**
ii गवाह	:–	शून्य
iii बचाव पक्ष द्वारा पिछली तिथि के बाद से अद्यतन प्रस्तुत कागजात	:–	शून्य

3. प्रस्तुत अभिलेख सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को हस्तांतरण से पूर्व तत्कालीन जांच आयुक्त–सह–सचिव, वाणिज्य–कर विभाग के स्तर पर संचालित की जा रही थी, जिनके समक्ष आरोपित पदा0 द्वारा समर्पित बचाव बयान पर प्रस्तुतीकरण पदा0 द्वारा विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही उक्त मंतव्य पर आरोपित पदा0 का प्रत्युत्तर भी प्राप्त है। प्री–ट्रैप/पोस्ट ट्रैप में नामित दो स्वतंत्र गवाह का परीक्षण आरोपित पदा0 द्वारा किया गया है तथा आरोपित पदा0 द्वारा अपने पक्ष में दिये गये दो गवाहों में से एक गवाह श्री रौशन कुमार का परीक्षण तत्कालीन जांच आयुक्त द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा प्रस्तुतीकरण पदा0 द्वारा समर्पित साक्षियों की सूची में से तकरीबन सभी साक्षियों का परीक्षण/प्रति–परीक्षण किया जा चुका है, मात्र अनुसंधानकर्त्ता–सह–धावा दल प्रभारी श्री अरूण शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक(से0नि0), नि0अ0ब्यूरों, पटना एवं परिवादकर्त्ता मो0 रजी अहमद का परीक्षण/प्रति परीक्षण किया जाना शेष है, जिन्हें सुनवाई की निर्धारित पिछली कई तिथियों पर उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है, परन्तु दोनों उपस्थित नहीं हो रहे हैं। प्रस्तुतीकरण पदा0 द्वारा बताया गया कि परिवादी श्री रजी अहमद द्वारा नोटिस का तामिला लेने से इन्कार कर दिया गया है।

4. अतः प्रस्तुतीकरण पदा0 को निदेश दिया जाता है कि अनुसंधानकर्त्ता–सह–धावादल प्रभारी एवं परिवादकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुलिस अधीक्षक, नि0अ0ब्यूरों, पटना को पत्र के माध्यम से सूचित करें कि यदि अगली तिथि पर उक्त दोनों गवाह उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें गवाही देने से Debar कर दिया जाएगा। तत्पश्चात् प्रस्तुत मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। परिवादी श्री रजी अहमद को अगली तिथि पर उपस्थित होने हेतु नोटिस का तामिला स्थानीय थाना के मदद से कराना सुनिश्चित किया जाए।

5. प्रस्तुतीकरण पदा0/आरोपित पदा0 उक्त गवाहों का परीक्षण/प्रति परीक्षण करने हेतु सुनवाई की अगली निर्धारित तिथि पर आवश्यक तैयारी के साथ उपस्थित रहेंगे। प्रस्तुतीकरण पदा0 VC के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

6. इस वाद की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक **29.07.2026** को अपराह्न **12.30** बजे निर्धारित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित कर दें।

(मनोज कुमार)
जाँच आयुक्त–सह–सचिव

जाँच आयुक्त–सह–सचिव, पंचायती राज विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय,
चतुर्थ तल, बिहार, पटना–800015

ज्ञापांक: वि0का0सं0 : 04/2016 : 128 (ग्रा0) पं.रा.   पटना, दिनांक 13 / 07 / 2026

प्रतिलिपि:
1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना,
2. पुलिस अधीक्षक, नि0अ0ब्यूरो, पटना
3. श्री रौशन राज, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णियाँ (मो0नं0–8802723101, E-mail ID: dclr.baisi@gmail.com)
4. श्री चंदन कुमार मंडल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक–797/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णियाँ सम्प्रति–सेवानिवृत्त, पता–खाजपुरा, गार्डन सिटी, लोहिया पथ, पटना–800014 (मो0 नं0–9334965805, ई– मेल–ckumar5880@gmail.com, स्पीड पोस्ट से) एवं
5. विभागीय आई.टी.प्रबंधक को उक्त निर्धारित तिथि को VC Id बनाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
जाँच आयुक्त–सह–सचिव

Time & Date: 12:30pm, Wednesday, 29-07-2026

https://meet.google.com/yfb-vdyb-unz